FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

श्रीमती मानी प्रा० लाडू —बनाम— श्रीमती गंगा प्रा० माना उर्फ मानाराम

नि. ग्रा. बालपुरा तह व जिला अजमेर वगै. —— जाति रावत व अन्य

किस्म मुकदमा 225 राज. काश्तकारी अधि. —नम्बर 84 —सन् 20 19 (अजमेर)

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 19/000844 श्री महेन्द्र सिंह श्री
	अपील संख्या 2019/00084 बउनवानी श्रीमती मानी वगैरह बनाम श्रीमती गंगा वगैरह,
13.3.19	यह अपील श्री महेन्द्र सिंह चौहान एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 06.02.2019, प्रकरण संख्या 11/2019 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील पर प्रथमतः पोषणीयता के बिन्दु पर बहस सुनी गई।
	अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस में बताया कि ऐसे अंतरिम आदेश की अपील न्यायालय हाजा में ही पोषणीय होने बाबत् कथन किया यह अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय हैं तथा न्यायालय हाजा को ऐसे आदेश की विरूद्ध अपील सुनने का पूर्ण क्षैत्राधिकार हैं।
	अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर में समक्ष वादीगण/अपीलांट ने एक वाद पत्र प्रस्तुत एवं साथ ही वाद पत्र के कथन अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी/सहकाश्तकारी की आराजीयात है जिस पर उक्त वर्णित पक्षकारान संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है एवं आज दिनांक तक भूमि का न्यायिक बंटवारा नही हुआ है चूँकि वर्तमान रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम दर्ज नहीं होकर विवादित पुश्तैनी भूमि में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर देने से अप्रार्थीगण, प्रार्थीया को उनके हिस्से की भूमि से महरूम करने के इरादे से खेत जोतने, बोने, निराई गुडाई करने, फसल काटने तथा लाटने एवं लगान जमा कराते समय अर्थात प्रत्येक समय झगडे व फसाद करना प्रारम्भ कर दिया है जिससे अब संयुक्त काश्त किया जाना संभव नहीं है अतःभूमि की किस्म, मूल्य व लगान के आधार पर रिकार्ड तथा मौके पर न्यायिक बंटवारा किया जाना वांछित हैं जिस हेतु उक्त उनवानी राजस्व वाद वास्ते बंटवारा बहक प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाने हेतु उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस के प्रार्थना पत्र को दिनांक 06.02.2019 को बिना कोई कारण अंकित किये केवल मात्र प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर दिनांक 21.02.2019 नियत कर दी। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की है। आर.बी.जे. 1994 पेज 24 पर राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहॉं किसी प्रकरण को न्यायालय विचारणार्थ ग्रहण कर लेता है वहॉं पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित करना न्यायालय का कर्तव्य है, ऐसी स्थिति में जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने बिना स्थगिन स्थगन दिये जारी किया हैं, जो विधि सम्मत नही है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर, विवादित आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें तथा विवादित आराजीयात को रहन, बय व मुन्तकिल नहीं

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अजमेर
841/19/525 श्रीमती मानी जोजो बनाम श्रीमती गंगा

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	19/00084 श्री महेन्द्र सिंह चौहान श्री	
लगातार	करें तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाने के आदेश न्यायहित मे प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में आर.आर.टी. 2011(1)पेज 152 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया। अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत नजीर का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 06.02.2019 द्वारा प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये हैं, जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण/अपीलांटस ने उक्त अपील प्रस्तुत की हैं। चूँकि अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं है किन्तु मान्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने आर.आर.टी. 2011(1)पेज 152 का न्यायिक दृष्टांत में यह प्रतिपादित किया है कि अत्यावश्यकता के मामले में एक पक्षीय अन्तरिम आदेश पारित किया जा सकता है। प्रस्तुत अपील में अपीलांट का यह कथन है कि विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्टस निर्माण कार्य करने एवं विवादित आराजी को बेचान करने पर आमादा हैं इसलिए हम मान्नीय मण्डल के उक्त न्यायिक दृष्टांत का मध्यनजर रखते हुए विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को 30 दिवस में निस्तारण करें। **अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती हैं तथा प्रकरण अधीनस्थन्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधि. (अस्थायी निषेधाज्ञा) पर उभयपक्षकारा को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विवेचन कर, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर इस न्यायालय के आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। तब तक विवादित आराजी (जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में अंकित किया है) के राजस्व रेकार्ड एवम मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। ओदश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील अधिकारी अजमेर	